वी। रामास्वामी से पहले, सी। जे। और जी। आर। मजीथिया, जे।

चंदर दत्त और अन्य, -पुटिशर।

बनाम

सोनीपत केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड। और दूसरे,- उत्तरदाताओं।

1981 के सिविल रिट याचिका संख्या 4543

8 अगस्त, 1988।

हेल्ड, हालांकि, सहकारी सोसायटी या उसकी समिति या किसी भी अधिकारी द्वारा किए गए अधिनियम या अधिनियमों को पंजाब सहकारी समितियों अधिनियम, 1961 की धारा 29 के तहत संरक्षित किया जाएगा, यह खंड कर्मचारियों की नियुक्ति को मान्य नहीं करता है जो प्रत्यक्ष उल्लंघन में हैं क़ानून या नियमों के अनिवार्य प्रावधानों को फंसाया गया। सहकारी सो-सी के दिन-प्रतिदिन के कारोबार से बाहर ले जाने से सोसायटी की एक प्रशासनिक समिति द्वारा किए गए चयन या नियुक्ति की तुलना में एक अलग पैर पर खड़ा होता है। वहाँ- सामने, यह आयोजित किया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 29 समान नहीं है।

(पैरा 18)।

यह माना जाता है कि वैधानिक बार के मद्देनजर यह है कि एक निदेशक के संबंधों को केवल बैंक की सेवा में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चुने गए उम्मीदवार सात साल से अधिक समय तक सेवा में बने हुए हैं या वे शासन के लिए नियुक्ति के लिए ओवरएज हो गए हैं - मेंट सर्विस और प्रवेश के लिए उनके मौके पर प्रतिकूल प्रभाव सेवा में कोई आधार नहीं होगा। सेवा होगी ऐसी नियुक्ति जारी रखने के लिए (पारस 16 और 17)।

भारत के संविधान के 226/227 लेखों के तहत सिविल रिट याचिका प्रार्थना

करते हुए:-

(ए) बैंक की टिव कमेटी द्वारा चयनित चयन के बाद सर्टिफिकेट कॉर्ड की प्रकृति में एक रिट जारी किया जाना जारी किया जाए।

(b) प्रतिवादी को निर्देश देने वाले परमादेश की प्रकृति में एक रिट एक वैध समिति का गठन करना तथा नियमानुसार अभ्यर्थियों का चयन करना।

(ग) किसी भी अन्य उपयुक्त रिट, दिशा का आदेश जो यह माननीय अदालत फिट हो सकता है और मामले के परिस्थितियाँ के तहत उचित रूप से जारी किया जा सकता है।

(घ) कि याचिकाकर्ताओं के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, सेलेक-टियोन सूची याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिए उसी (मूल या प्रमाणित) की प्रति के दाखिल के साथ भेजा जा सकता है और उत्तरदाताओं को फर को निर्देशित किया जा सकता है। - चयन सूची की प्रतिलिपि।

(ई) अनुलग्नक P1 की प्रमाणित प्रति की दाखिल करना साथ।

(च) उत्तरदाताओं पर अग्रिम सूचना की सेवा के साथ भेजा जाना चाहिए।

(छ) याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं को दी जाती है।

यह आगे प्रार्थना की जाती है कि रिट पेटी-टियोन की पेंडेंसी के दौरान, बैंक की प्रशासनिक समिति द्वारा विभिन्न उम्मीदवारों की नियुक्ति को रोक दिया जाए।

उपस्थित

याचिकाकर्ताओं के लिए भूप सिंह, अधिवक्ता।

जे। एल। गुप्ता, सीनियर एडवोकेट, (अरुण कैथपालिया और सुबश आहूजा, उसके साथ वकील), प्रतिवादी नंबर 1 के लिए।

एच। एस। हुड्डा, रमेश हुड्डा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, वकील, प्रतिवादी नोस के लिए 13 से 15. दीपक अग्निहोत्री, अधिवक्ता, प्रतिवादी नोस 16 से 18, 20, 22 के लिए
35, 38 से 40, 42, 47 से 50, 53, 56, 61 से 75।

प्रलय

(1) यह निर्णय CWP Nos 4543/1981, 4714/1981, 870/1982 और 871/1982 का निपटान करेगा। इन सभी मामलों में, पूर्वाग्रह, नेपोटिसन के

आधार पर रेस-पॉन्डेंट्स के चयन को चुनौती दी गई है और जो प्रशासनिक समिति ने चयनों को बनाया था, उसे वैध रूप से गठित नहीं किया गया था। तीसरा आरोप CWP Nos। 4543/1981 और 4714/1981 को शामिल करता है। अन्य दो आरोप सभी चार मामलों में आम हैं।

(2) CWP नंबर 4543/1981 में उत्तरदाताओं की संख्या 11 से 15 का चयन इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि प्रतिवादी नंबर 11 प्रतिवादी नंबर 5 का असली भाई था जो व्यवस्थापक-सख्ती समिति के सदस्य थे; वह प्रतिवादी नंबर 12 श्री इंद्र का बेटा है देव शर्मा, बैंक के प्रबंध निदेशक, और वह प्रतिवादी नंबर 13 गियानी राम कुंडू के बहनोई हैं, जो बैंक के डायर-टॉर्स में से एक हैं। यह आगे आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी नंबर 14 प्रतिवादी नंबर 8 के दामाद हैं, जबकि प्रतिवादी नंबर 15 कर्ता सिंह के दामाद कानून हैं, और यह कि श्री जियानी राम कुंडू और श्री करत सिंह निर्देशक हैं बैंक के लेकिन प्रशासनिक समिति के सदस्य नहीं, CWP नंबर 4543/81 में, कुछ निजी उत्तरदाताओं ने एक लिखित बयान भी दायर किया, लेकिन याचिका के पैरा 18 (सी) में ली गई याचिकाकर्ताओं की विशिष्ट दलील को शामिल नहीं किया, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के संबंध में शिप प्रशासक समिति या निदेशक मंडल के सदस्यों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने, सामान्य शब्दों में, कहा कि प्रशासनिक समिति का संविधान और इसके द्वारा किए गए चयन को अमान्य था।

(४) बैंक के प्रबंध निदेशक, श्री इंद्र देव शर्मा ने बैंक की ओर से लिखित बयान दायर किया और एक श्रेणीबद्ध स्टैंड लिया कि जब उनके बेटे, प्रतिवादी नंबर 12, को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, जहां वह कमरे से बाहर चले गए थे जहां साक्षात्कार, चयन समिति द्वारा आयोजित किया गया था। उन्होंने इस आरोप से इनकार किया कि वह अपने बेटे के साक्षात्कार के समय मौजूद थे।

(5) सीडब्ल्यूपी संख्या 4714/81 में निजी उत्तरदाताओं या सोनीपत सेंट्रल सहकारी बैंक लिमिटेड की ओर से कोई लिखित बयान भी दाखिल नहीं किया गया।

(6) 1982 के सीडब्ल्यूपी संख्या 870 और 871 में, उत्तरदाता संख्या 11, 13, 14 और 29 के चयन पर इस आधार पर सवाल उठाया गया था कि उत्तरदाता संख्या 11 प्रतिवादी संख्या 3 का बेटा है; वह प्रतिवादी संख्या 13
प्रतिवादी संख्या 6 की बहन का बेटा है: वह प्रतिवादी संख्या 14 है

प्रतिवादी संख्या 5 का करीबी रिश्तेदार, जो कि बहन का पति है उत्तरार्द्ध, और वह प्रतिवादी संख्या 29 प्रतिवादी का दामाद है नंबर 4।

(7) सीडब्ल्यूपी संख्या 871/1982 में, प्रतिवादी संख्या ॥ का चयन कनिष्ठ लेखाकार पर यह कहकर हमला किया गया कि वह असली है प्रतिवादी नंबर 6 का भाई जो बैंक का निदेशक था। सीडब्ल्यूपी में क्रमांक 870/1892 में लिपिकों की नियुक्ति को समान आधार पर चुनौती दी गयी थी।

(8) सभी मामलों में, याचिकाकर्ताओं ने समान जमीन पर चयनित निंदा के चयन को हमला किया है और याचिकाकर्ता भी उन पदों के लिए आवेदक थे जिनके खिलाफ उत्तरदाताओं को चुना गया था।

(9) सोनीपत सेंट्रल कोऑपरेशन बैंक लिमिटेड (इसके बाद बैंक कहा जाता है) पंजाब सहकारी समितियों अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, अधिनियम कहा जाता है) के तहत पंजीकृत एक समाज है। अधिनियम की धारा 84 के प्रावधानों के अनुसरण में, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, हरियाणा, को हरियाणा स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड की आवश्यकता थी, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड की सेवा में एम-प्लाई के लिए एक सामान्य कैडर का गठन करने के लिए। प्राथमिक सहकारी कृषि श्रेय/सेवा समाजों की सेवा में सचिव जो उस बैंक के सदस्य हैं। तत्संबंधी अनुवर्ती , हरियाणा स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की स्टाफ सर्विस (कॉमन कैडर) नियम, 1975 (संक्षेप में, कॉमन कैडर रूल्स कहा जाता है) को फंसाया गया था और ये नियम म्यूटेटिस म्यूटेंडिस हरियाणा राज्य में सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों और सेवा कैंडिशन पर लागू होते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंकों में काम करने वाले सभी कर्मचारी इन नियमों द्वारा शासित हैं।

(10) सामान्य कैडर नियमों के नियम 2 (डी) 'प्रशासनिक समिति' को परिभाषित करते हैं। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है: -

"प्रशासनिक समिति 'का अर्थ है, संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा बाई-कानूनों के प्रावधानों के तहत, या बाय-लॉज़ में ऐसे समर्थक विज़न की अनुपस्थिति में, संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंक के लिए एक समिति द्वारा गठित समिति का अर्थ है, संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंक के बोर्ड द्वारा गठित एक समिति इन नियमों की प्रशंसा- "
संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंकों के बोर्ड कांस्टीटिव ने प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों को करने के लिए एक प्रशासनिक समिति को टाल दिया।

(११) प्रशासनिक समिति, बोर्ड के पूर्व-पूर्व की अनुपस्थिति में, सदस्यों में से एक को व्यवसाय को लेन-देन करने के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में चुनाव करती है।

(12) सीडब्लूपी क्रमांक 4543/81 एवं 4714/81 में श्री राज सिंह का निर्वाचन समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रतिवादी संख्या 9 पर हमला किया गया आधार यह है कि वह 18, जनवरी 1973, से गोहाना को ऑपरेटिव मार्केट आईएनजी-कम-प्रोसेसिंग सोसायटी लिमिटेड, गोहाना का डिफॉल्टर था और, इस प्रकार, निदेशक के रूप में चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। बैंक और प्रशासनिक समिति में उनके समावेश ने अपने संविधान को अमान्य कर दिया। यह आपत्ति इस अदालत के फैसले के मद्देनजर नहीं है, जो कि राज सिंह बनाम जे.एस. वर्मा, आदि (1) के रूप में रिपोर्ट की गई है। उस मामले में, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों का आदेश, यह घोषणा करते हुए कि श्री राज सिंह ने सोनीपत सेंट्रल कोऑपरेशन बैंक लिमिटेड

के निदेशक बनना बंद कर दिया था। डिप्टी रजिस्ट्रार ने अपने आदेश में कहा था कि श्री राज सिंह ने उनके द्वारा ली गई राशि को गोहाना कॉपेरा-टिव मार्केटिंग-कम-प्रोसेसिंग सोसाइटी लिमिटेड से एक अग्रिम के रूप में जमा किया था, जो कहा गया था कि ठीक होने के बाद काफी प्रयास किए गए थे। समाज, और, इस प्रकार, उन्हें बैंक के निदेशक के कार्यालय को संभालने के लिए अयोग्य बना दिया। श्री राज सिंह ने इस अदालत में एक रिट याचिका के माध्यम से आदेश को अस्वीकार कर दिया, और यह आयोजित किया गया कि डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश ने घोषणा की कि श्री राज सिंह ने बैंक के निदेशक के रूप में बंद कर दिया था। उसे उक्त समाज के लिए अल्ट्रा वायरस था और इस प्रकार, वह था। सोनीपत सेंट्रल कोऑपरेशन बैंक लिमिटेड, रिट याचिका के लिए एक पार्टी थी और इस मामले में निर्णय, इस प्रकार, श्री राज सिंह और सोनीपत सेंट्रल कोऑपरेशन बैंक लिमिटेड., Sonepat (Respon- डेंट नं। 1)। इस प्रकार यह आपत्ति है कि प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री राज सिंह का चुनाव अमान्य था, और परिणामस्वरूप पूरे चयन को विफल कर दिया, जीवित नहीं रहता है।

(13) सोनीपत सेंट्रल कोऑपरेशन बैंक लिमिटेड., Sonepat के पंजीकृत उप-कानूनों के उप-कानून 42, उस तरीके को प्रदान करते हैं जिसमें निदेशक मंडल को एक प्रशासनिक कॉम का चुनाव करना होता है- समिति और इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:-
(i) निदेशक मंडल के अध्यक्ष;
(ii) सरकारी नामांकित लोगों में से एक;
(iii) पांच निदेशक आपस में से चुने गए; (iv) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों का एक नामांकित व्यक्ति।

(१४) याचिकाकर्ताओं का ग्राउज़ यह है कि रजिस्ट्रार का नामांकित व्यक्ति प्रशासनिक समिति का सदस्य नहीं था, जैसा कि सोनपैट सेंट्रल कोप-रेटिव बैंक लिमिटेड के उप-कानूनों के उप-कानूनों द्वारा संलग्न किया गया था, कि प्रबंध निदेशक बैंक पार्टिक- ने समिति की कार्यवाही में कहा: कि उसे बैठक में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था, और संपूर्ण चयन विथित है।

(१५) अधिनियम की धारा of५ यह प्रदान करती है कि सरकार किसी भी सहकारी समाज या सहकारी समितियों के वर्ग के लिए इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। इन शक्तियों के अभ्यास में, पंजाब सहकारी समितियों के नियम, 1963 (संक्षेप में, सहकारी समितियों के नियमों को कहा जाता है) को हरियाणा सरकार द्वारा फंसाया गया था। नियम 2 (के) रिश्तेदार को परिभाषित करता है 'और यह के रूप में पढ़ता है:-

"2. परिभाषाएँ-इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ को अन्यथा आवश्यकता न हो:-

(k) "रिश्तेदार" में किसी भी व्यक्ति को शामिल किया गया, जो कि एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके बेटे/बेटी के बेटे की पत्नी या बेटी के पति को एक सामान्य पूर्वज के माध्यम से शामिल करता है, लेकिन एक दादा की तुलना में अधिक दूरस्थ या किसी व्यक्ति से किसी भी व्यक्ति से शादी की। "

सामान्य कैडर नियमों का नियम 9.2 (बी) यह प्रदान करता है कि कोई भी व्यक्ति बैंक में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो सहकारी समितियों के नियमों के नियम 2 (के) के अर्थ के भीतर किसी भी निदेशक से संबंधित है। सामान्य कैडर नियमों को एपेक्स बैंक (हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड) द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों की पूर्व अनुमोदन के साथ तैयार किया गया है। इन नियमों को अधिनियम की धारा 85 (xxxviii) के प्रावधानों के अनुसरण में फंसाया गया था। सामान्य कैडर नियमों का कोई भी उल्लंघन चयन अमान्य है। उत्तरदाता नंबर 11 से 15 बैंक के निदेशकों और प्रशासनिक समिति के सदस्यों से संबंधित थे और उन्हें आम कैडर नियमों के नियम 92 (ई) की कठोरता के कारण नियुक्त नहीं किया जा सकता था जो किसी व्यक्ति की नियुक्ति को मना करता है बैंक की सेवा जो को-ऑपरेटिव सोसाइटीज नियमों के नियम 2 (के) के अर्थ के भीतर बैंक के निदेशकों से संबंधित है। इस प्रकार, CWP नंबर 4543/81 में उत्तरदाताओं की संख्या 11, 12, 14 और 15 की नियुक्ति और CWP नंबर 4714/81 में प्रतिवादी नंबर 11 की विटाल है। CWP Nos। 870 और 1982 के

871 में, उत्तरदाताओं की नियुक्ति नंबर 11 और 29 की नियुक्ति की गई है। CWP नंबर 871/1982 में, प्रतिवादी नंबर 11 की नियुक्ति की गई है। इन नियुक्तियों को आम कैडर नियमों के नियम 9.2 (ई) में निहित मानव-दंत प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया था।

(16) प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे.एल. गुप्ता ने निम्नलिखित प्राधिकारियों का उल्लेख किया: -

मोहन लाई बंसल बनाम पंजाब राज्य (2)
गुरबख्श राय सूद बनाम पंजाब राज्य (3)

दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य (4)
अशोक कुमार यादव बनाम हरियाणा राज्य (5)

और कहा कि चयनित उम्मीदवार सात साल से अधिक समय तक सेर-वाइस में बने हुए थे। हालांकि चयन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि नियुक्ति के बाद से सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए ओवरएज हो गया था और सरकारी सेवा में प्रवेश की संभावना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि CWP नंबर 4543/1981 और 4714/1981 में, प्रतिवादी नंबर 12 का चयन SH के बाद से नहीं किया गया है। इंद्र देव दुआ (रेस्पॉन्स-डेंट नंबर 10), प्रतिवादी नंबर 12 के पिता, ने शपथ पर कहा है कि वह प्रशासनिक समिति की बैठक में मौजूद नहीं थे जब उनके बेटे का साक्षात्कार हुआ था। श्री गुप्ता द्वारा किए गए ये दोनों प्रस्तुतियाँ अस्थिर हैं।

(17) सामान्य कैडर नियमों के नियम 9.2(ई) में एक वैधानिक बाधा है कि एक निदेशक के संबंध नियम 2(के) में निर्दिष्ट हैं।
सहकारी समिति नियमावली की सेवा में नियुक्त नहीं किया जा सकता
बैंक। वैधानिक बार के मद्देनजर कि एक निदेशक (गैर अधिकारी) के संबंधों को बैंक की सेवा में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, श्री गुप्ता द्वारा किए गए सबमिशन को अस्वीकार कर दिया जाना है। इन निर्णयों में कहा गया सामान्य प्रस्ताव तात्कालिक मामले के तथ्यों से आकर्षित नहीं है। मूवओवर, चयन को 19 सितंबर, 1984 को अंतिम रूप दिया गया था। याचिकाकर्ता चयन के एक महीने से भी कम समय में सेप्टम-बेर 30, 1981 पर अदालत में आए थे। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में आरोप लगाया है कि प्रयासों के बावजूद वे आधिकारिक तौर पर चयन के परिणाम को नहीं जान सकते थे। चयन को चुनौती

देने के लिए याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई देरी नहीं हुई। देरी इस अदालत द्वारा प्रारंभिक तिथि पर मामले की गैर-सुनवाई के लिए है, जिसके लिए याचिकाकर्ताओं के साथ कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

(१8) श्री सी। बी। कौशिक, अधिवक्ता, जो बैंक के लिए उपस्थित हुए थे, अधिनियम की धारा 29 पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया कि दोष, यदि कोई भी, चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति में ठीक हो गया
अधिनियम का U/S 29। धारा 29 ने परिकल्पना की है कि सह के कार्य ऑपरेटिव समाजों को वहां होने के कारण अमान्य नहीं किया जा सकता है समाज या समिति के संविधान में दोष, और यह
के रूप में पढ़ता है:-
"सहकारी समिति या किसी भी समिति या किसी भी अधिकारी का कोई कार्य केवल कारण से अमान्य नहीं माना जाएगा प्रक्रिया में किसी भी दोष के अस्तित्व या सोसायटी या समिति के शंकु में या किसी अधिकारी की नियुक्ति या चुनाव में या इस आधार पर कि इस तरह के अधिकारी को उनकी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। "

तर्क हालांकि स्पष्ट रूप से प्रशंसनीय है, लेकिन गहरी जांच पर बिना किसी पदार्थ के पाया जाता है। सहकारी समितियों के हितों की रक्षा के लिए और उन लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए सैल्यूटरी प्रावधान (सुप्रा) को क़ानून की पुस्तक पर लाया गया है। सोसाइटी की समिति में राज्य सहकारी विभाग के अधिकारी, एपेक्स सोसाइटी के कर्मचारी और सोसाइटी के निर्वाचित निदेशक शामिल हैं। कॉम-मिती व्यवसाय को लेन-देन करता है, बाहरी एजेंसियों के साथ अनुबंधों में प्रवेश करता है, नियुक्तियां करता है और बाद में यदि यह पाया जाता है कि कार्यालय सरकार या राज्य सरकार के किसी भी नामांकित व्यक्ति या शीर्ष समाज के कर्मचारियों में से कोई भी अनुचित या चुने हुए निदेशकों के चयन को अमान्य माना जाता है, समाज द्वारा किए गए अधिनियम या अधिनियमों को इस प्रावधान के तहत संरक्षित किया जाएगा, लेकिन यह

उन कर्मचारियों की नियुक्तियों को मान्य नहीं करता है जो क़ानून के अनिवार्य प्रावधानों या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन करते हैं या नियमों को फंसाया गया। सहकारी समितियों के दिन-प्रतिदिन के कारोबार से बाहर ले जाने से समाज के एक प्रशासनिक कॉम-मिती द्वारा किए गए चयन/नियुक्तियों की तुलना में एक अलग फुटिंग है। पूर्ववर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई उत्तरदाताओं का चयन अधिनियम के यू/एस 29 को मान्य नहीं किया जा सकता है, और यह पूरी तरह से एक घटना के लिए अनुचित है जैसा कि तत्काल मामले में उत्पन्न हुआ है। I 81; CWP Nos I 870 और 1982 के 871 में, उत्तरदाताओं की नियुक्ति/चयन नंबर 11 और 29, और CWP नंबर 871/1982 में प्रतिवादी नंबर 11. अन्य नियुक्तियों का चयन परेशान नहीं है। इन सभी चार मामलों में प्रतिवादी नंबर 1 को अन्य उम्मीदवारों के साथ याचिकाकर्ताओं पर विचार करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिन्होंने विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया था, जिनके लिए याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया था। यह किसी भी नए विज्ञापन को जारी नहीं करेगा या अनुप्रयोगों को आमंत्रित नहीं करेगा, लेकिन उन सभी आवेदकों को कॉल करेगा जिन्होंने विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए याचिकाकर्ताओं ने साक्षात्कार के लिए आवेदन किया था और फिर कानून के अनुसार चयन किया। रिट याचिकाओं को तदनुसार निपटाया जाता है। हालांकि, हम अपनी लागतों को सहन करने के लिए पार्टियों को छोड़ देते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पारिंदर सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

जींद, हरियाणा

Chander Datt and others *v.* Sonepat Central Cooperative Bank Ltd. and others (G. R. Majithia, J.)